	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 31, सोमवार, शाके 1943–जून 21, 2021 *Jyaistha 31, Monday, Saka 1943- June 21, 2021*	

भाग-6(ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

कार्यालय नगर विकास न्यास पाली

आदेश

पाली, नवम्बर 02, 2021

भू-उपयोग परिवर्तन आदेश

संख्या न.वि.न्या./भू.उ.प/2015-16/638-641 :-भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की 158वीं बैठक दिनांक 30.01.2020में लिये गये निर्णयानुसार राजस्व ग्राम पाली चक द्वितीय के खसरा नम्बर 579/6की कुल रकबा 11.09बीघा भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या162के मार्गाधिकार हेतु सड़क के मध्य से100भूमि सड़क व उसके पश्चात् 100फीट चौड़ी भूमि वृक्षारोपण पट्टी हेतु छोड़ते हुए शेष भूमि का परिधि नियंत्रण पट्टी व वृक्षारोपण पट्टी से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है:-

1. राज्य स्तरीय समिति की 158वीं बैठक दिनांक 30.01.2020 में प्रश्नगत भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु अध्यारोपित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जानी होगीं।
2. राष्ट्रीय राजमार्ग 162 हेतु सड़क के मध्य से 100 फीट भूमि सड़क हेतु छोडने के पश्चात् 18.56 मीटर चौडाई की सड़क (जिसकी लम्बाई लगभग 130 मीटर अंकित की गई है) के द्वारा प्रश्नगत भूमि को उपलब्ध करवाये गये पहुच मार्ग की मौके पर सुनिश्चिता की जानी होगीं।
3. प्रश्नगत भूमि पर नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृती नगर विकास न्यास, पाली से प्राप्त की जानी होगीं।
4. आवेदित भूमि के निर्विवादित भू-स्वामित्व, पैमाईश, क्षेत्रफल, न्यायिक वाद/विधिक रोक आदि की जॉच तथा टाऊनशिप पॉलिसी, भवन विनियमो के प्रावधानो व अन्य तत्संबधित राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रो/निर्देशो के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करने हेतु भू-स्वामी बाध्य रहेगा।
5. यह केवल मात्र आवेदित भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति हैं, इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में प्रमाण के रूप में नही माना जायेगा।
6. भवन विनियिम के अनुसार सभी प्रकार के देय शुल्क, शास्ती जमा करानी होगीं।
7. भवन विनियिम के अन्य सभी आवश्यक मानदण्ड लागू होंगे।

8. प्रकरण में किसी भी स्तर पर स्वीकृति की आवश्यकता हो तो वह प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करना होगा।
9. आवेदक को इस भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी होने की दिनांक से 03 माह के अन्दर समस्त राशि जमा कराकर पट्टा लेना अनिवार्य होगा। उक्त अवधि में अगर आवेदक राशि जमा कराकर पट्टा प्राप्त नहीं करता है, तो यह भू-उपयोग परिवर्तन निरस्त माना जावेगा।

सावन कुमार चायल,
सचिव,
नगर विकास न्यास,पाली।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।